

## प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

### 1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणामस्वरूप क्षेत्र में होने वाले नुकसान के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

### 2. किस कारण से फसल प्रभावित होती है और किस प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं?

प्राकृतिक आपदा, कीट के हमले और मौसम की अनियंत्रित अतिरिक्त या घाटे की वर्षा, अतिरिक्त या घाटे का तापमान, नमी, तुषार, हवा की गति इत्यादि।

### 3. दावों का आकलन कैसे किया जाता है?

a. यदि बीमाकृत अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमाकृत फसलों के प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गई गणना) निर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड उपज से कम हो जाती है तो उस परिभाषित क्षेत्र और फसल में सभी बीमाकृत किसान को उपज में कमी का सामना करना पड़ता है।

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 'दावा' गणना की जाएगी;

थ्रेसहोल्ड उपज – वास्तविक उपज

थ्रेसहोल्ड उपज

जब, अधिसूचित बीमा इकाई में एक फसल के लिए थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाय) उस फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा किए गए उस मौसम के पिछले सात वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज है।

b. किसानों को दावों का भुगतान तब शुरू होगा जब बीमा कंपनी को मौसम वर्ष के लिए केन्द्र और राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार से प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

c. संबंधित बीमा कंपनियों से दावा राशि प्राप्त करने के बाद, वित्तीय संस्थान/ बैंकों को एक सप्ताह के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के खाते में दावा राशि प्रेषित करनी होगी एवं सात दिवस के अंतर्गत शाखा कार्यालयों में लाभार्थियों का पूरा विवरण प्रदर्शित करना होगा तथा इसकी आख्या बीमा कंपनी को सत्यापन एवं लेखा परीक्षा के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी।

- d. अऋणी किसानों के मामले में देय दावों को बीमा कंपनी द्वारा दावे के विवरण की सूचना के साथ व्यक्तिगत किसान के खाते में सीधा जमा किया जाएगा।

#### इस योजना के तहत प्रभार की गई प्रीमियम दरें क्या हैं?

पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमांकिक प्रीमियम दर का प्रभार लिया जाएगा:-

- खरीफ फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 2% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम है।
- रबी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 1.5% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम है।
- खरीफ और रबी मौसम में वाणिज्यिक / उद्यनिकी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 5% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम हो।

#### 4. किसानों के लिए निष्फल बुवाई के दावे कैसे लागू होते हैं?

**निष्फल बुवाई/ रोपण जोखिम:** निष्फल बुवाई/ रोपण जोखिम, प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों जैसे कि कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में बीमाकृत फसलों की व्याप्तता बुवाई/ रोपण से निष्फल होती है तो बीमाकृत फसलें बीमित राशि के अधिकतम 25% तक के लिए क्षतिपूर्ति दावों के लिए योग्य होंगी।

- आच्छादन:** प्रारंभिक चरण में अधिसूचित इकाई में बोए गए 75% से अधिक क्षेत्र में फसलों को प्रभावित करने वाले पात्र जोखिमों की व्यापक घटनाओं, जिससे फसल की सम्पूर्ण क्षति या किसान फसल बाने या प्रत्यारोपण की स्थिति में नहीं होता है (या) कम या अतिरिक्त बारिश के कारण फसल की बुवाई या अंकुरण नहीं हो पाती; के मामले में किसानों पर आच्छादन लागू होता है।

#### II. पात्रता मापदंड:

केवल वे किसान जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है / नुकसान से पूर्व उनके खातों से प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार मौसम की शुरूआत के 15 दिनों के

भीतर अधिसूचित बीमाकृत इकाईवार एवं फसलवार सामान्य बुवाई क्षेत्रफल उपलब्ध कराएगी।

“बाधित बुवाई / रोपण” का तभी भुगतान होगा जब अधिसूचित फसल के लिए 75% से अधिक बोया गया क्षेत्र उपरोक्त किसी भी जोखिम की घटना के कारण बुवाई रहित हो गया हो।

### III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

- ✓ आच्छादन केवल प्रमुख फसलों के लिए उपलब्ध होगा।
- ✓ कुल बीमा राशि के 25% का भुगतान होगा और उसके बाद पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी।

नोट: योजना दिशानिर्देशों के मुताबिक बीमा कंपनी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना / आदेश के 30 दिनों के भीतर प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन दावों का भुगतान करेगी।

### 5. किसानों के लिए खड़ी फसल चरण के दौरान प्रदान किया गया आच्छादन क्या है?

**खड़ी फसल (बुवाई से कटाई):** गैर-रोकथाम वाले जोखिमों के कारण उपज हानि को आच्छादित करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है, जैसे खड़ी फसल चरण के दौरान सूखे, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट एवं रोग, भू स्खलन प्राकृतिक अग्नि और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, आंधी, झंझावात और समुद्री तूफान।

- I. खड़ी फसल के लिए मध्यवधि प्रतिकूल स्थितियों के दावों का ऑन अकाउंट भुगतान तभी लागू है, यदि बाढ़, दीर्घकालिक सूखा अवधि, गंभीर सूखा इत्यादि, के कारण अनुमानित उपज 50% से कम होगी।
- II. किसानों के लिए योग्यता मानदंड, जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है या नुकसान से पूर्व जिनके खातों से प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है।

नोट: बीमा कंपनी, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा अंतिम हिस्से की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, राज्य सरकार की अधिसूचना / आदेश के ३० दिनों के भीतर बीमा कंपनी के दावों का भुगतान करेगी।

### III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

प्रावधान लागू होने पर हानी का मूल्यांकन सरकार के साथ किया जाता है।

ऑन-अकाउंट भुगतान की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी।

**(श्रेसहोल्ड उपज – अनुमानित उपज) X बीमित राशि X 25%**

**श्रेसहोल्ड उपज**

नोट: अधिकतम देय राशि संभावित दावों की 25% होगी, अंतिम दावों के साथ समायोजन के अधीन।

### IV. हानि मूल्यांकन और रिपोर्ट जमा करने के लिए समय सीमा:

नुकसान के उपरांत 7 दिनों के भीतर सरकार द्वारा नुकसान का पात्रता विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। नुकसान के 15 दिनों के भीतर नुकसान का मूल्यांकन संयुक्त समिति द्वारा पूरा किया जाएगा।

बीमा कंपनी, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा सब्सिडी के अंतिम हिस्से की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, चालू खाते (ऑन-अकाउंट) में भुगतान करेगी।

दावों से संबंधित जानकारी के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या [RURAL.CLAIMS@HDFCERGO.COM](mailto:RURAL.CLAIMS@HDFCERGO.COM) पर एक ई-मेल लिख सकते हैं।

## 6. यदि फसल कटाई हो गयी है, क्या उसके बाद भी नुकसान आच्छादित होता है और किस हद तक?

I. आच्छादन केवल उन फसलों के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह तक उपलब्ध है जिन्हें कटाई के बाद क्षेत्र में सूखने (फैलाकर/छोटे बण्डलों में) के लिए रखा जाता है। चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसम वर्षा या ओला वृष्टि के कारण क्षेत्र में कटी और फैली हुई या छोटे बण्डलों बंधी हुई फसल को नुकसान हुआ हो।

### II. पात्रता मानदंड,:

केवल वे किसान जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है / नुकसान से पूर्व उनके खातों से प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है।

कटाई उपरांत 14 दिनों तक विनिर्दिष्ट खतरों से क्षति हो जाती है।

### III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

क्षति उपरांत किसान को 72 घंटे के भीतर हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 पर सूचना देनी होगी और सूचना में खसरा संख्या-वार बीमाकृत फसल और प्रभावित क्षेत्रका विवरण होना चाहिए।

किसानों को बाद में दावों के भुगतान के लिए जरूरी सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भरे हुए दावा प्रपत्र को भी उपलब्ध कराना चाहिए।

क्षति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्त की जाएगी और मूल्यांकन निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्पादित किया जायेगा, जिसके बाद योजना मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन, क्षति मूल्यांकन आख्या को अंतिम रूप देने बाद दावों का निपटारा किया जाएगा।

दावों से संबंधित जानकारी के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या [RURAL.CLAIMS@HDFCERGO.COM](mailto:RURAL.CLAIMS@HDFCERGO.COM) पर एक ई-मेल लिख सकते हैं।

## 7. क्या भूस्खलन एवं ओलावृष्टि आच्छादित है और दावा कैसे करें?

**स्थानीय आपदा:** अधिसूचित क्षेत्र में खेतों को प्रभावित करने वाले, स्थानीयकृत जोखिमों ओलावृष्टि, भूस्खलन जलभराव आकाशीय बिजली के कारण प्राकृतिक आग एवं बादल फटने की पहचान की घटना से होने वाली हानि / क्षति।

**V.** यदि फसल का नुकसान किसी भी स्थानीयकृत जोखिमों / आपदाओं जैसे भूस्खलन, ओलावृष्टि जलभराव, बदल फटना और आकाशीय बिजली से आग के कारण होता है जो एक अधिसूचित इकाई या एक भूखंड को प्रभावित करता है तो किसान स्थानीयकृत आपदा के लिए दावा करने योग्य है।

### **VI. पात्रता मापदंड:**

केवल वे किसान जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है / नुकसान से पूर्व उनके खातों से प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है, दावा कर सकते हैं

नोट: अधिकतम पे-आउट इनपुट की लागत के अनुपात में, बीमित जोखिम की घटना तक, बीमा राशि के अधीन होगा।

यदि क्षेत्र दृष्टिकोण (सीसीई डेटा के आधार पर) के तहत भुगतान स्थानीयकृत नुकसान से अधिक है, तो बीमित किसानों के लिए दो दावों की उच्च राशि देय होगी,

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कवर के तहत पे-आउट कम से कम अग्रिम सरकारी सहायता, प्रीमियम सब्सिडी की प्राप्ति के बाद बीमा कंपनी द्वारा वितरित किया जाएगा।

#### VII. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

क्षति उपरांत किसान को 72 घंटे के भीतर हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 पर सूचना देनी होगी और सूचना में खसरा संख्या-वार बीमाकृत फसल और प्रभावित क्षेत्र का विवरण होना चाहिए।

किसानों को बाद में दावों के भुगतान के लिए जरूरी सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भरे हुए दावा प्रपत्र को भी उपलब्ध कराना चाहिए।

क्षति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्त की जाएगी और मूल्यांकन निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्पादित किया जायेगा, जिसके बाद योजना मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन, क्षति मूल्यांकन आख्या को अंतिम रूप देने बाद दावों का निपटारा किया जाएगा।

दावों से संबंधित जानकारी के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या [RURAL.CLAIMS@HDFCERGO.COM](mailto:RURAL.CLAIMS@HDFCERGO.COM) पर एक ई-मेल लिख सकते हैं।

नोट: युद्ध और परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोकथाम वाले जोखिमों से उत्पन्न होनेवाले नुकसान को बाहर रखा जाएगा।

#### 8. इस योजना के तहत कौन सी फसल को आच्छादित किया जा सकता है?

- I. खाद्य फसलों जैसे अनाज, बाजरा और दालें
- II. तिलहन जैसे मूंगफली
- III. वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक उद्यनिकी फसलें जैसे फल और सब्जियां

बारहमासी फसलों के अलावा कवरेज के लिए पायलटों को उन बारहमासी बागवानी फसलों के लिए लिया जा सकता है जिसके लिए औसतन उपज के लिए मानक पद्धति उपलब्ध है।

9. सामान्य प्रीमियम सब्सिडी अनुपात क्या होगा?

- I. वास्तविक प्रीमियम दर और किसान द्वारा देय प्रीमियम दर के बीच अंतर सामान्य प्रीमियम सब्सिडी दर के रूप में माना जाएगा, जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
- II. कुछ राज्य अपने बजट के अनुसार अपने बजट से निर्धारित सब्सिडी के ऊपर और अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करते हैं और किसान सरकार की वेबसाइट पर स्थिति की जांच कर सकते हैं।

10. पीएमएफबीवाई के तहत आच्छादन प्राप्त करने के लिए किसान की पात्रता क्या है?

काश्तकार एवं बटाईदार किसानों सहित इस योजना के तहत सभी किसानों, जिनका बीमाहित हो; शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आच्छादित किए गए किसान को 2 घटकों के तहत विभाजित किया गया है:-

I. अनिवार्य घटक

अधिसूचित फसल(ओं) के लिए वित्तीय संस्थानों (यानी ऋणी किसानों) से मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) के लिए ऋण लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जाएगा।

सभी ऋणी किसानों के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा आच्छादन देना अनिवार्य है।

✓ फसल योजना में कोई भी बदलाव बुवाई के दो दिन के भीतर बैंक की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

✓ बीमा प्रस्ताव केवल एसएलसीसीसीआई (SLCCCI) द्वारा घोषित एक निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

II. स्वैच्छिक घटक

योजना किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई के तहत बीमा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले गैर-ऋणी किसानों और काश्तकारों के लिए वैकल्पिक होगी, निकटतम बैंक शाखा / पैक्स / अधिकृत चैनल पार्टनर / बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से अंतिम तिथि के भीतर संपर्क कर सकते हैं, बीमा हेतु निर्धारित प्रारूप में पूरी तरह से प्रस्ताव भरें, भूमि

अधिकार / फसल (उदाहरण के स्वामित्व / किरायेदारी / खेती के अधिकार) की खेती में उनके बीमा योग्य हित के संबंध में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बैंक शाखा / बीमा मध्यस्थ / सीएससी केंद्रों में आवश्यक प्रीमियम जमा करें।

- ✓ फसल योजना में कोई भी बदलाव कट-ऑफ-डेट से २ दिन पहले बैंक को सूचित किया जाना चाहिए.
- ✓ बीमा प्रस्ताव केवल एसएलसीसीआई द्वारा घोषित निर्धारित कट-ऑफ तारीख तक स्वीकार किए जाते हैं.
- ✓ आच्छादन के लिए इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना / संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव प्रपत्र में प्रदान किया जाना चाहिए।
- ✓ किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि पहचान संख्या का जिक्र करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजी सबूत उपलब्ध कराना चाहिए। किसान को क्षेत्र का बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ✓ किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक स्रोत से, भूमि के एक टुकड़े में खेती की जाने वाली अधिसूचित फसल (ओं) की खेती / प्रस्तावित फसल के लिए बीमा आच्छादन प्राप्त है। कोई डुप्लिकेट या दोहरा बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान आच्छादन के लिए योग्य नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे सभी दावों को अस्वीकार करने और साथ-साथ ऐसे मामलों में प्रीमियम के धनवापसी ना करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी।
- ✓ कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

योजना का उद्देश्य इन दानों घटकों के तहत एससी/ एसटी/ और महिला किसानों के तहत अधिकतम किसानों को आच्छादित करना है।

## 11. फसलों के लिए आच्छादन की सीमा क्या है?

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617



फसल मूल्य के 100% के लिए कवरेज नहीं किया जाता है। बीमा राशि फसल की खेती के इनपुट लागत के आधार पर है। फिर फसल की जोखिम शीलता के आधार पर क्षतिपूर्ति का स्तर विभिन्न स्तरों में जिला और फसल स्तर पर तय किया गया है- 70% उच्च जोखिम से संबंधित, मध्यम जोखिम में 80% और कम जोखिम के लिए 90%। राज्य में राज्य स्तरीय फसल समन्वय समिति राज्यों में निविदा प्रक्रिया से पहले अधिसूचित फसल और क्षेत्र के लिए वित्त और क्षतिपूर्ति स्तर के संबंधित पैमाने को मंजूरी देती है। इसलिए किसान के लिए आच्छादन राज्य स्तरीय फसल समन्वय समिति द्वारा घोषित अंतिम राशि के आधार पर है।

## 12. क्या पीएमएफबीवाई के लिए नामांकन के लिए कोई समय सीमा है?

सभी नामांकनों को आवश्यक रूप से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना और बीमा कंपनी को अंतिम तिथि के भीतर बैंक या माध्यम द्वारा अनुमोदित प्रीमियम के किसान हिस्से में परिभाषित अंतिम तिथि के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। अंतिम तिथि से परे किसी भी देरी की वजह से बीमा कंपनी को आच्छादन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

## 13. पीएमएफबीवाई योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य क्या है?

पीएमएफबीवाई एक जोखिम शमन उपकरण है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय को स्थिर करना, सुनिश्चित करना है ताकि खेती में निरंतरता सुनिश्चित हो सके। यह सभी चरणों में अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली फसलों के खतरों को आच्छादित करता है, यानी बुवाई से फसल कटाई के बाद तक। यह किसानों को कृषि क्षेत्र में स्थिर आय और टिकाऊ उत्पादन के लिए आधुनिक और अभिनव कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

## 14. व्यक्तिगत किसान के लिए बीमा राशि सीमा क्या है?

व्यक्तिगत किसान के लिए बीमा राशि, बीमा के लिए किसानों द्वारा अधिसूचित फसल के क्षेत्र द्वारा गुणा प्रति हेक्टेयर के बराबर है। **खरीफ 2019** के लिए एचडीएफसी एर्गो को आवंटित राज्यों में विभिन्न फसलों के लिए बीमा राशि संबंधित राज्य अनुभाग पर देखी जा सकती है।

## 15. किसान के दावों के निपटारे का आधार क्या है?

श्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाय) बेंचमार्क यील्ड लेवल होगा, जिस पर बीमा यूनिट में सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी. इंश्योरेंस यूनिट (आईयू) में अधिसूचित फसल की औसत उपज पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी. अधिसूचित फसल की श्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है.

## 16. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के लिए पूर्व शर्तें क्या हैं?

- I. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश, को एक स्लाइडिंग स्केल आधार पर अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र में आवश्यक संख्या में फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) करना चाहिए।
- II. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश बीमा कंपनियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सीसीई आधारित उपज आंकड़े उपलब्ध कराएं जैसे कि अंतिम फसल कटाई की तारीख से एक महीने के भीतर।
- III. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश को ऑन अकाउंट भुगतान निपटारे के उद्देश्य के लिए स्वचलित मौसम केंद्र तंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता करनी चाहिए।
- IV. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश को सीसीई के संचालन के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना।

## 17. ऋणी किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है?

### a. अनिवार्य घटक के तहत ऋणी किसान – वित्तीय संस्थान

फसल मौसम के आधार पर, बैंकों को वित्त के पैमाने पर खरीफ और रबी दोनों सत्रों के लिए ऋण राशि की पात्रता की अलग-अलग गणना करनी चाहिए और अधिसूचित फसलों के तहत व्यक्तिगत ऋणी किसान के क्षेत्र घोषित किये जाने चाहिए और अनिवार्य कवरेज के लिए विचार करना चाहिए।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत फसली ऋण बैंकों के माध्यम से अनिवार्य आच्छादन के तहत भी आच्छादित किया जाता है और इन योजनाओं के अनुपालन से संबंधित सभी रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

ऋणी किसान से प्रस्ताव और प्रीमियम के संग्रह के लिए नोडल बैंक जिम्मेदार होगा।

वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए व्यक्तिगत बैंक शाखाएं नोडल शाखा के रूप में कार्य करेंगी। संबंधित बैंक शाखाओं के लिए आवश्यक दिशानिर्देश संबंधित लीड बैंक और क्षेत्रीय कार्यालयों / वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा शासित होंगे।

फसल बीमा पोर्टल में प्रस्तावित / प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार नोडल बैंकों / शाखाओं द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र में बीमा इकाई, प्रति यूनिट बीमा राशि, प्रीमियम प्रति यूनिट, कुल बीमाकृत क्षेत्र और किसानों की श्रेणी (छोटे और सीमांत या अन्य) और अन्य श्रेणियों (एससी / एसटी / अन्य / महिलाओं) के तहत किसानों की संख्या बैंक खाते के विवरण आदि के बारे में विवरण शामिल होगा।

वाणिज्यिक बैंकों / आरआरबी की बैंक शाखाएं निर्धारित समय के भीतर फसल बीमा पोर्टल में शासित प्रारूप में बीमाकृत किसानों के ब्योरे के साथ समेकित प्रस्ताव सीधे जमा करेंगी।

नोडल बैंक / मध्यस्थ संबंधित शाखाओं से इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि में किसानों के नाम, बैंक खाता संख्या, गांव, किसानों की श्रेणी, क्षेत्रफल, फसल, बीमा राशि, एकत्रित प्रीमियम, सरकारी सब्सिडी इत्यादि जैसे आवश्यक विवरणों के साथ व्यक्तिगत किसानों की सूची एकत्रित करेंगे और अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर घोषणा प्रपत्र के साथ बीमा कंपनी को भेज दें।

## 18. गैर-ऋणी किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है ?

### I. वैकल्पिक घटक के तहत गैर-ऋणी किसान - चैनल पार्टनर / मध्यस्थ

उन सभी किसानों, जिन्होंने मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) के लिए ऋण का लाभ नहीं उठाया है और बीमा हित रखने के लिए निकटतम वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) या पैक्स (डिसीसीबी) शाखा में जाकर आच्छादन ले सकते हैं। बैंक अधिकारी प्रस्ताव प्रपत्र भरले, प्रासंगिक दस्तावेज, बीमा राशि और लागू प्रीमियम इत्यादि से संबंधित किसानों की सहायता और मार्गदर्शन करेगा। ऐसे मामलों के लिए बैंक खाता संचालित करना आवश्यक है।

उन सभी किसानों का, जिन्होंने मौसमी कृषि संचालन (एसओए) ऋण का लाभ नहीं उठाया है और बीमा योग्य हित रखते हैं वे भी केवल प्रस्ताव पत्र और प्रासंगिक दस्तावेजों को आवश्यक प्रीमियम राशि के साथ भरकर आईआरडीए द्वारा अनुमोदित और नामित मध्यस्थों को जमा करके आच्छादन प्राप्त कर सकते हैं। नामित मध्यस्थ बिमा हित एवं भू अभिलेख से सम्बंधित प्रासंगिक दस्तावेज, 7/12 से निकर्ष या भूमि अधिकारों का अभिलेख, बुवाई प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, रद्द चेक - केवल तभी जब बैंक पासबुक में पहचान प्रमाण पत्र ना उपलब्ध हो तथा काशतकारों एवं बटाईदारों के सम्बन्ध में अनुबंध / समझौते / के दस्तावेज को सत्यापित करेगा।

मध्यस्थ अपेक्षित प्रीमियम इकट्ठा करेंगे एवं बीमा कंपनी को पृथक / समेकित प्रीमियम भेजेंगे, साथ में व्यक्तिगत प्रस्ताव प्रपत्र तथा घोषणा पत्र में सारांश / विवरण तालिका (एमआईएस) प्रत्येक किसान के विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि भी कार्यान्वित संस्था को उपलब्ध कराएंगे एवं फसल बिमा पोर्टल पर भी विवरण अपलोड करेंगे।

b. वैकल्पिक घटक के तहत गैर-ऋणी किसान - सीधे बीमा कंपनियों को।

काशतकारों एवं बटाईदारों के मामले में गैर-ऋणी किसान जो बीमा हित रखते हैं, बीमा कंपनियों को पोस्ट के माध्यम से या फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से आवश्यक प्रीमियम और प्रासंगिक दस्तावेज जैसे की भू अभिलेख या समझौते / अनुबंध के दस्तावेज के साथ प्रस्तावित फॉर्म भेज सकते हैं।

बीमा कंपनिया, बीमा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार बरकरार रखती हैं। यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रस्ताव की प्राप्ति के माह के भीतर बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम वापस किया जायेगा। प्रस्ताव प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

**19. अधिसूचना के लिए राज्य किस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं ?**

- I. पीएमएफबीवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्रशासनिक निर्देश जारी करने के बाद, राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI) आम तौर पर बोली नोटिस जारी करने के साथ फसलों, अधिसूचित क्षेत्र, वित्त के पैमाने, क्षतिपूर्ति स्तर आदि की

अधिसूचना पर विभिन्न नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित करता है।

- II. एसएलसीसीसीआई आम तौर पर फसल के मौसम जैसे की खरीफ के लिए मार्च और रबी के लिए सितंबर, शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले अपने संबंधित राज्यों में अधिसूचना जारी करता है।
- III. अधिसूचना जारी करने से एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार और चयनित कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समन्वय में फसल बीमा पोर्टल ([www.agri-insurance.gov.in](http://www.agri-insurance.gov.in)) पर अधिसूचना की सभी आवश्यक जानकारी अपलोड करना एवं उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

## 20. क्या नामांकन के लिए कोई अंतिम तिथियां हैं ?

पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार और मध्यस्थों और बैंको के लिए अंतिम तिथियां विभिन्न होती हैं। अनिवार्य घटकों के तहत ऋणी किसानों को आच्छादित करने के लिए समग्र ऋण अवधि, खरीफ के लिए अप्रैल से जुलाई एवं रबी के अक्टूबर से दिसंबर तक होगी।

- I. बैंको द्वारा किसानों से प्रीमियम इकठ्ठा करने के लिए - ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के प्रस्ताव प्रपत्र प्राप्त करने / किसान के खाते से प्रीमियम नामे करने की अंतिम तिथि खरीफ के लिए 31 जुलाई या राज्य शासन द्वारा निर्धारित तिथि होगी।
- II. बैंको द्वारा बीमा कंपनी को जमा करने के लिए - नोडल बैंक / बैंक शाखाओं से समेकित घोषणा पत्र / प्रस्ताव प्रपत्र की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथियां, खरीफ और रबी मौसम के लिए क्रमशः किसानों के खाते से प्रीमियम नामे करने की अंतिम तिथि से ऋणी किसानों के लिए 15 दिवस के भीतर एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए 7 दिवस के भीतर।
- III. बीमा मध्यस्थों को बीमा कंपनी को जमा करने के लिए - नामित बीमा अभिकर्ताओं से प्रस्ताव प्रपत्र की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथियां क्रमशः घोषणा पत्र / प्रीमियम की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर होंगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है की न तो DAC & FW और न ही किसी भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार को किसी भी परिस्थिति में निर्धारित होने के बाद मौसम की अंतिम तिथियों का विस्तार करने के लिए अधिकृत किया जायेगा।

## 21. क्या पोर्टल में डेटा दर्ज करने के लिए कोई अंतिम तिथियां हैं ?

- I. बैंकों और मध्यस्थों - किसी भी बैंकर या मध्यस्थ के माध्यम से किए गए सभी नामांकन, व्यक्तिगत बीमित किसानों की सूचना (सॉफ्ट कॉपी) फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि प्रीमियम के संग्रह की अंतिम तारीख के 15 दिनों के भीतर होगी।

## 22. राज्य, बीमा कंपनियों को उपज के आंकड़े कब प्रदान करते हैं ?

राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश के लिए अंतिम तिथियां, फसल कटाई के बाद सभी उपज डेटा को अंतिम रूप देने और अंतिम फसल कटाई की तारीख से एक महीने के भीतर बीमा कंपनियों को सभी उपज आंकड़े प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

## 23. आंकड़े प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी कब दावों का निपटारा करेगी?

बीमा कंपनियों को राज्य सरकार से उपज आंकड़े प्राप्त होने से तीन सप्ताह के भीतर उपज आंकड़ों के आधार पर अंतिम दावों का भुगतान करना चाहिए।

## 24. मूल्य निर्धारण के लिए या प्रीमियम दर प्राप्त करने के लिए बीमाकर्ताओं की मूलभूत आवश्यकतायें क्या हैं?

- I. यह योजना बीमा इकाई (आईयू) नामक चयनित परिभाषित क्षेत्र में क्षेत्र दृष्टिकोण के सिद्धांत पर कार्य करेगी। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत या अन्य समकक्ष इकाइयों को प्रमुख फसलों के लिए अधिसूचित करना चाहिए और गौण फसलों के लिए ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर इकाई आकार को अधिसूचित करना चाहिए।
- II. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (एसएलसीसीसीआई) बुवाई अवधि से दो महीने के भीतर बीमा कंपनी को बीमाकृत फसलों के बोए गए क्षेत्र के साथ मानक प्रारूप में मुख्य और गौण फसल के लिए बीमा इकाई के आधार पर कम से कम पिछले 10 वर्षों के ऐतिहासिक उपज के आंकड़े प्रदान करे।
- III. यदि कोई आपदा वर्ष, जो किसी भी जिला / क्षेत्र के संबंध में घोषित किया गया है, बीमा कंपनी को प्रीमियम दरों की गणना के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- IV. दोनों ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय किए गए वित्त के पैमाने के समान एवं बराबर होगी और राज्य

स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (एसएलसीसीसीआई) इसको पूर्व घोषित और बीमा कंपनियों को सूचित करेगी।

**25. फसल बोलने और परिवर्तन के बारे में कंपनी को सूचित करने की क्या प्रक्रिया है?**

यदि किसान फसल को बोलने के लिए बदलता है, तो उसे बदलाव के लिए बीमा प्राप्ति या बुवाई की अंतिम तिथि से कम से कम 02 दिन पूर्व देय प्रीमियम में अंतर के साथ अगर कोई हो एवं राज्य के संबंधित गांव / उप-जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र के साथ बीमा कंपनी या वित्तीय संस्थान / चैनल पार्टनर / बीमा मध्यस्थ / सीधे जैसा कि मामला हो सकता है, सूचित करना चाहिए। यदि प्रीमियम का भुगतान अधिक था, तो बीमा कंपनी अतिरिक्त की धनवापसी करेगी।

**26. बैंक और मध्यस्थों को देय कमीशन और बैंक शुल्क क्या है?**

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों इत्यादि को किसानों से एकत्रित प्रीमियम का @ 4% सेवा शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा। किसानों को बीमा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगे ग्रामीण अभिकर्ताओं को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) नियमों के तहत निर्धारित कैपिंग के अधीन, बीमा कंपनी द्वारा तय किए गए उचित कमीशन का भुगतान किया जा सकता है।

**27. क्या इस योजना के तहत सेवा योजना कर लागू है?**

पीएमएफबीवाई को सेवा कर से छूट दी गई है।